

हाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के
बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत अनुमति-पत्र
क्र.भोपाल- 505/डब्ल्यू. पी.



फंजी. क्रमांक भोपाल डिप्टीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 1989—भद्र 16, शके 1911

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक ७ सितम्बर १९८९

क्र. एफ. २४(४)-८२-बत्तीस-१.—मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६२ (क्रमांक ४१ सन् १९६२) की धारा ३ की उपधारा (२) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा—

(एफ) वक्फ अधिनियम, १९५४ (१९५४ का सं. २९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्फ, या

(दां) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक २० सन् १९५१) के अधीन शैक्षणिक, धार्मिक या पूर्ण प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास,

के स्वामित्व के समस्त स्थानों को, मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, १९६२ (क्रमांक ४१ सन् १९६२) के समस्त उपबन्धों से छूट प्रदान करती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आ. आर. तिवारी, संयुक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक ७ सितम्बर १९८९

क्र. एफ. २४(४)-८२-बत्तीस-१.—भारत के संविधान के अनुच्छेद २४८ के खण्ड (२) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक ७ सितम्बर १९८९ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आ. आर. तिवारी, संयुक्त सचिव.

Bhopal, the 7th September 1989

No. F-24-(4)-83-XXXII-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. XLI of 1961), the State Government hereby exempts all the accommodation owned by—

(i) the Wakf, registered under the Wakf Act, 1954 (No. 29 of 1954); or

(ii) the public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 (No. XXX of 1951), for an educational, religious or charitable purpose,

from all the provisions of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. XLI of 1961).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
O. R. TIWARI, Jt. Secy.